ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लाट नं0–1 नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतमबुद्धनगर (उ0प्र0)

पत्रांक/उद्योग/2017/ 1606
दिनांकः 17.08.2017

संशोधित कार्यालय आदेश

प्राधिकरण बोर्ड की 108वीं बैठक दिनॉक 05.06.2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनॉक 08.08.2017 के कम में पत्रांक संख्या–पत्रांक/उद्योग/2017/1589 दिनांक 11.08.2017 के माध्यम से कार्यालय आदेश जारी किया गया था। उपरोक्त कार्यालय आदेश में लिपिकिय त्रुटिवश इकोटेक–11 टंकित होने के कारण उपरोक्त आदेश को संशोधन उपरान्त निम्नानुसार पढा जायें:–

"प्राधिकरण बोर्ड की 108वीं बैठक दिनॉक 05.06.2017 में प्रस्तुत प्रस्ताव पर संचालक मण्डल द्वारा लिये गये निर्णय के कम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनॉक 08.08.2017 के कम में ऐसे आंवटी जिन्होंने प्राधिकरण की 106वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार दिनॉक 30.11.2016 तक अपने भूखण्ड की लीजडीड निष्पादित करा ली हो, किन्तु निर्माण/कियाशील नहीं करा सके। ऐसे समस्त आबंटियों को प्राधिकरण की औद्योगिक नीति के अनुसार प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष एवं तृतींय वर्ष के लिए कमशः 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत एवं 8 प्रतिशत विलम्ब शुल्क एवं तत्पश्चात भूखण्ड के प्रीमियम के 1 प्रतिशत प्रतिमाह आबंटन दर पर दिनॉक 31.03.2017 तक एवं तत्पश्चात 2 प्रतिशत प्रतिमाह आबंटन दर पर अधिकतम 31.12.2017 तक निर्माण/कियाशील हेतु विलम्ब शुल्क सहित समयवृद्वि प्रदान की जाती है।"

(ए0के0 शर्मा)
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
2. निजी सचिव को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी(जे0) महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित ।
3. प्रबन्धक(उद्योग)
4. गार्ड फाईल।

17/8/17
उप महाप्रबन्धक(उद्योग)